न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – राहुल शर्मा, आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 27/2023

CIS Reg. No. – Cri. Reg. Case 27/2023

CNR No. : **RJJH100000352023**

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगुताराम, निवासी रेल्या की ढाणी तन गुढ़ागौड़जी पोस्ट दुड़िया, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)

––परिवादी

बनाम

नौरंगलाल पुत्र श्री गुल्लाराम, निवासी रेल्या की ढाणी तन गुढ़ागौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री विद्याधर गिल विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
2. श्री महेश कुमावत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक: 18.07.2026**

1. परिवादी राजेन्द्र सिंह पुत्र भगुताराम, निवासी रेल्या की ढाणी तन गुढ़ागौड़जी पोस्ट दुड़िया, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.) की ओर से अभियुक्त नौरंगलाल पुत्र गुल्लाराम, निवासी रेल्या की ढाणी तन गुढ़ागौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.) के विरुद्ध परिवाद न्यायालय में दिनांक 09.07.2021 को पेश किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने परिवाद पत्र न्यायालय में इस

आशय का पेश किया कि परिवादी 1986 में सेना में भर्ती हुआ था फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुआ। मुल्जिम कलकत्ता में अपना व्यापार करता है। मुल्जिम को अपने व्यापार के लिये धन की आवश्यकता थी। परिवादी ने अपनी बचत पूंजी में से भिन्न तारीखों में मुल्जिम की मांग पर कई बार में रूपये आर०टी०जी०एस कलकत्ता स्थानान्तरित किये जो मुल्जिम को प्राप्त हो गये। परिवादी तथा मुल्जिम रुपयों का लेन देन का हिसाब किया मुल्जिम ने अपने युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के कलकत्ता के खाता नम्बर 0672010128629 दिनांक 02.03.2021 का दो लाख रुपये का चैक नंबर 675655 भरकर अपने हस्ताक्षर कर परिवादी के पक्ष में जारी किया था। इसी तरह अपने दूसरे खाता नम्बर 0672050013998 का तीन लाख रुपये का चैक नम्बर 424684 दिनांक 02.03.2021 तथा उसी खाता का अन्य चैक नंबर 424683 दिनांक 28.02.2021 राशि 5 लाख रूपये अपने हस्ताक्षर कर परिवादी के पक्ष में जारी किया। परिवादी ने मुल्जिम द्वारा जारी उक्त तीनों चैक अपने बैंक स्टेट ऑफ इण्डिया गुढ़ागौडजी के खाता नम्बर 00000030935945710 में भुगतान प्राप्त करने के लिये जमा करवाये। बैंक ने दिनांक 05.03.2021 को उक्त तीनों चैक मुल्जिम द्वारा भुगतान रोक देने के कारण अनादर कर परिवादी को लौटा दिये जो मुल्जिम के द्वारा अपराध करने की श्रेणी में आता है। परिवादी को उक्त असन्त दिनांक 06.03.2021 को प्राप्त हुआ। जिस पर परिवादी ने दिनांक 17.03.2021 को अपने अभिभाषक द्वारा मुल्जिम को कानूनी नोटिस भिजवाया जो मुल्जिम को प्राप्त हो गया। मुल्जिम ने अपने अभिभाषक द्वारा दिनांक 02.04.2021 को परिवादी के नोटिस का जवाब भिजवाया जिसमें मुल्जिम ने परिवादी से कुछ समय के लिये रूपये उधार लेना तथा उसके बदले में उपरोक्त तीन चैक अपने हस्ताक्षर परिवादी को सौंपना स्वीकार किया, लेकिन परिवादी को भिन्न-भिन्न तारीखों के 10,05,000 रूपये मय ब्याज अदा करने का गलत जवाब नोटिस भिजवाया। मुल्जिम ने परिवादी को 10 लाख रुपये के चैक पिछला हिसाब जोड़ने के बाद विधिक तौर पर बकाया मान कर जारी किये थे। मुल्जिम ने परिवादी के कानूनी नोटिस का गलत जवाब भिजवाया। इसलिये मुल्जिम को उसके अपराध की सजा दिलवाने के लिये तथा 10 लाख की दो गुना अर्थ दण्ड दिलवाने के लिये इस्तगासा पेश किया है। मुल्जिम ने कानूनी नोटिस का

जवाब 2 अप्रेल 2021 को भिजवाया है। जिसके 30 दिन के अन्दर मियाद इस्तगासा प्रस्तुत किया है। मुल्जिम द्वारा जारी चैक परिवादी के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गुढ़ागौडजी तहसील उदयपुरवाटी से अनादर होकर परिवादी को वापस प्राप्त हुए है। अतः परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत अभियुक्त को दण्डित करे एवं चैक राशि से दुगुनी राशि दिलवाने के लिये उपयुक्त आदेश जारी किया जाने प्रार्थना पत्र पेश किया।

3. परिवाद पत्र के पेश होने पर बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. परिवादी ने अपनी साक्ष्य में स्वयं राजेन्द्र सिंह गवाह ए. डब्ल्यू. 1 के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मूल चैक संख्या 675655 प्रदर्श 1, मूल चैक संख्या 424684 प्रदर्श पी 2 व मूल चैक संख्या 424683 प्रदर्श पी 3, रिटर्न मीमो प्रदर्श 4, दूसरा रिटर्न मीमो प्रदर्श 5, रजिस्टर्ड नोटिस प्रदर्श 6 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

6. अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने परिवादी की साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि उसके द्वारा संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है, कोई भी राशि बकाया नहीं है।

7. साक्ष्य प्रतिरक्षा में गवाह नवरंगलाल एन.ए.डब्ल्यू 1, गवाह इन्द्राज एन.ए.डब्ल्यू 2, गवाह रामेश्वर सैनी एन.ए.डब्ल्यू 3 के रूप में बयान लेखबद्ध किए गए तथा दस्तावेज प्रदर्श ए 1 असल बैंक जमा रसीद पेश की।

8. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

(1) **''क्या अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे परिवादी को तीन चैक, जिनमें क्रमशः प्रथम चैक नंबर 675655 रूपये 2,00,000/- दिनांकित**

02.03.2021, द्वितीय चैक नंबर 424684 रूपये 3,00,000/— दिनांकित 02.03.2021, तृतीय चैक नंबर 424683 रूपये 5,00,000/— दिनांकित 28.02.2021 को भर कर एवं अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिए, परिवादी द्वारा प्रथम चैक नंबर 675655, द्वितीय चैक नंबर 424684, तृतीय चैक नंबर 424683 बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर PAYMENT STOPPED BY DRAWER होने के पृष्ठांकन के साथ बिना भुगतान के ही लौटा दिया गया, जिस पर परिवादी द्वारा विहित समयावधि में अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर राशि की मांग करने पर अभियुक्त द्वारा विहित समयावधि में उक्त चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया, इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है?''

(2) **''यदि हां तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या हो?''**

9. उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस पेश की गई है। उभय पक्ष की मौखिक बहस भी सुनी गई। अपनी लिखित बहस व दौराने मौखिक बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने तर्क दिया कि मुलजिम ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि मुलजिम ने परिवादी से बारह लाख रुपये उधार लिए थे तथा इसकी एवज में उसे चैक भरकर तथा अपने हस्ताक्षर करके परिवादी ने दिए थे। मुलजिम ने अपने बयान में 2020 से पूर्व कोई राशि परिवादी को देना शपथ पत्र में लिखा है। उसके समर्थन में गवाह रामेश्वर व इंद्राज के बयान करवाए हैं जो परिवादी में वर्णित जारी चैकों से काफी पहले के हैं। लेन–देन का कोई भी रिकॉर्ड मुलजिम ने पेश नहीं किया है। अतः परिवादी का परिवाद मंजूर कर अभियुक्त से चौबीस लाख रुपये परिवादी को दिलवाए जाए। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने अपनी लिखित बहस व दौराने मौखिक बहस में मुख्य्य रूप से यह कथन किए हैं कि परिवादी द्वारा उक्त चैकों के संबंध में अपने वकील के मार्फत जो नोटिस दिया गया था। उसका जवाब अभियुक्त द्वारा अपने वकील के मार्फत परिवादी के वकील को प्रेषित करवा दिया गया था। उक्त जवाब नोटिस में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि नौरंगलाल द्वारा परिवादी को विभिन्न तिथियों पर राशि अदा कर दी गई है तथा संपूर्ण राशि की अदायगी मय ब्याज परिवादी को कर दी गई है, लेकिन परिवादी ने जानबूझकर उक्त जवाब नोटिस की कॉपी पेश

नहीं की गई है। परिवादी के पास मनी लैंडिंग का लाइसेंस नहीं है। अभियुक्त ने अपने बयानों में गवाह इंद्राज व रामेश्वर सैनी को पेश किया है जिनकी मौजूदगी में परिवादी को नगद रुपयों की अदायगी की गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण परिवादी द्वारा पेश नहीं है। अभियुक्त द्वारा संपूर्ण उधार ली गई बारह लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है कुछ भी बकाया नहीं है। अतः परिवाद को खारिज किया जाकर अभियुक्त को बरी किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया–

1. Dashrathbhai Trikambhai Patel vs Hitesh Mahendrabhai Patel on 11 October, 2022 Criminal Appeal No. 1497 Of 2022
2. 2009(1) Bankmann 255 (Ker.) Joseph Sartho versus Gopinathan Nair Crl. Appeal No. 1432 of 2003 Decided on 29.10.2008
3. 2025 Supreme(Mad) 4715 M/s.Ultimate Computer Care Versus M/s.S.M.K.Systems Decided on: 12.02.2025
4. (2010)3Crimies 781 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECT PVT. LTD. AND OTHERS Vs VINAY MITTAL Decided on: 18.01.2020
5. Mrs. Monica Sunit Ujjain Versus Sanchu M. Menon and others Date 02.08.2022

10. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 को साबित करने लिए निम्नलिखित 3 बिन्दुओं को साबित किया जाना आवश्यक होता हैः–

1. **क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या किसी अन्य दायित्व के उनमोचन के संबंध में विवादित चैक दिए गए थे?**
2. **क्या हस्तगत मामले मे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना हुई है?**
3. **क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैकों की राशि का भुगतान नहीं किया गया है?**

11. उक्त तीनों बिंदुओ के संबंध मे न्यायालय का मत निम्नानुसार है:–

12. **बिंदु संख्या 1:– क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या किसी अन्य दायित्व के उन्मोचन के संबंध मे विवादित चैक दिए गए थे?**

उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि परिवादी राजेन्द्र सिंह ए डब्ल्यू 1 ने अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में सारतः यह कथन किए हैं कि वह फरवरी 2016 में सेना से सेवानिवृत्त हुआ था। मुलजिम जो कलकत्ता में अपना व्यापार करता है को अपने व्यापार के लिए धन की आवश्यकता थी। परिवादी ने अपनी बचत पूंजी में से भिन्न–भिन्न तारीखों पर कई बार मुलजिम की मांग पर रुपये आरटीजीएस के जरिये कलकत्ता स्थांतरित किए तथा मुलजिम ने रुपयों का लेन–देन का हिसाब किया जब मुलजिम ने अपने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कलकत्ता के खाता नंबर 0672010128629 दिनांक 02.03.2021 का दो लाख रुपये का चैक नंबर 675655 भरकर अपने हस्ताक्षर कर परिवादी के पक्ष में जारी किया। इसी तरह अपने दूसरे खाते खाता नंबर 0672050013998 का तीन लाख रुपये का चैक नंबर 424684 दिनांक 02.03.2021 तथा उसी खाता का अन्य चैक नंबर 424683 दिनांक 28.02.2021 राशि पांच लाख रुपये का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी के पक्ष में जारी किया। परिवादी ने उक्त तीनों चैक भुगतान प्राप्त करने हेतु अपने बैंक में जमा करवाए। बैंक ने दिनांक 05.03.2021 को उक्त तीनों चैक मुलजिम द्वारा भुगतान रोक देने के कारण अनादर कर परिवादी को लौटा दिए। परिवादी द्वारा उक्त चैक प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 साक्ष्य में पेश किए हैं। उक्त चैक प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त चैक अभियुक्त नौरंगलाल द्वारा अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को जारी किए गए हैं। मुलजिम द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह बचाव लिया गया है कि उसने परिवादी से कुछ समय के लिए बारह लाख रुपये उधार लिए थे। जिसकी सिक्योरिटी के रूप में उसने परिवादी राजेन्द्र सिंह को तीन खाली हस्ताक्षर युक्त चैक दिए थे। उसने राजेन्द्र सिंह से उधार लिए गए रुपयों की अदायगी हेतु दिनांक 11.01.2016 को राजेन्द्र सिंह के खाता संख्या 51064678835 बैंक एसबीबीजे में राजेन्द्र सिंह के कहे मुताबिक बीस हजार रुपये नगद कलकत्ता से जमा करवाए तथा उसके बाद दिनांक 22.01.2018 को शिंभु व

इंद्राज नामक व्यक्तियों की मौजूदगी में नगद तीन लाख रुपये तथा दिनांक 28.03.2018 को रुपये तीन लाख रुपये तथा दिनांक 06.04.2018 को ढाई लाख रुपये इंद्राज एवं रामेश्वर सिंह की मौजूदगी में अदा किए। उसके पश्चात दिनांक 02.05.2018 को राजेन्द्र सिंह के बैंक खाता संख्या 51064678835 में नगद दस हजार रुपये तथा दिनांक 04.05.2018 को खाता संख्या 61237244503 दीपक इलेक्ट्रिक के खाते में पच्चीस हजार रुपये राजेन्द्र सिंह के कहे मुताबिक जमा करवाए तथा आखिरी बार 01.06.2020 को राजेन्द्र सिंह के बैंक खाता संख्या 30935945710 में एक लाख रुपये नगद जमा करवाए। इस प्रकार राजेन्द्र सिंह को उसके द्वारा मय ब्याज दस लाख पांच हजार रुपये अदा किए जा चुके हैं। उसके द्वारा संपूर्ण राशि की अदायगी मय ब्याज राजेन्द्र सिंह को की जा चुकी है परंतु उसके द्वारा राजेन्द्र सिंह को दिए गए चैक वापस लौटाए जाने का कहने पर राजेन्द्र सिंह बहाना बनाकर समय निकालता रहा और उन्हीं चैक के आधार पर यह झूठा मामला उसके विरुद्ध पेश किया है। साक्ष्य सफाई में प्रस्तुत गवाह इंद्राज एनएडब्ल्यू 2 व रामेश्वर सैनी एनएडब्ल्यू 3 ने भी अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों में यह कथन किए हैं कि उनकी मौजूदगी में नौरंगलाल द्वारा राजेन्द्र सिंह को नगद राशि अदा की गई थी। इस संबंध में उक्त सभी गवाहान की जिरह का अवलोकन करें तो गवाह इंद्राज एनएडब्ल्यू 2 अपनी जिरह में यह कथन करता है कि उसके सामने नौरंगलाल ने राजेन्द्र को कुल साढ़े दस लाख रुपये दिए थे, परंतु गवाह नौरंगलाल एनएडब्ल्यू 3 स्वयं यह कथन करता है कि उसके द्वारा दिनांक 22.01.2018 को शिंभु व इंद्राज की मौजूदगी राजेन्द्र को तीन लाख रुपये, दिनांक 28.03.2018 को तीन लाख रुपये व दिनांक 06.04.2018 को इंद्राज व रामेश्वर की मौजूदगी में ढाई लाख रुपये अदा किए थे। इस प्रकार स्वयं नौरंगलाल एनएडब्ल्यू 1 इंद्राज की उपस्थिति में कुल साढ़े आठ लाख रुपये राजेन्द्र को अदा करना बताता है जबकि इंद्राज एनएडब्ल्यू 2 अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा जिरह में उसके समक्ष नौरंगलाल द्वारा राजेन्द्र को साढ़े दस लाख रुपये दिया जाना बताता है। दोनों ही राशियों में बहुत बड़ा अंतर है। इसके अतिरिक्त गवाह इंद्राज एनएडब्ल्यू 2 अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में विभिन्न तारीखों यथा दिनांक 22.01.2018, 28.03.2018, 03.04.2018 व दिनांक

06.04.2018 को उसकी मौजूदगी में नौरंगलाल द्वारा राजेन्द्र सिंह को राशि अदा किए जाने के कथन करता है परंतु जब जिरह में उसे राशि अदा करने की दिनांकों के बारे में पूछा जाता है तो गवाह यह कथन करता है कि दिनांक का उसे पता नहीं है। गवाह तो अपनी जिरह में यहां तक कथन करता है कि उसे राशि अदा करने के वर्ष/साल का भी पता नहीं है। इस प्रकार गवाह साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में तो राशि अदा करने की रटी रटाई तारीखें बताता है, परंतु जिरह में वह कथन करता है कि राशि कब दी गई उसकी दिनांक व वर्ष का उसे पता नहीं है। इसके अतिरिक्त गवाह नौरंगलाल ने अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में यह कथन किए हैं कि उसके द्वारा दिनांक 01.06.2020 को राजेन्द्र सिंह के बैंक खाते में एक लाख रुपये नगद जमा करवाए थे। इस संबंध में गवाह द्वारा बैंक खाते में जमा कराने की जमा पर्ची दिनांकित 01.06.2020 प्रदर्श ए 1 भी पेश की गई है, परंतु जिरह में गवाह यह कथन करता है कि "यह कहना सही है कि एक लाख रुपये जो प्रदर्श ए 1, राजेन्द्र के खाते में मेरे भाई सांवरमल ने जमा करवाए थे यह कहना सही है कि मैंने राजेन्द्र के खाते में कोई एक लाख रुपये जमा नहीं करवाए" इस प्रकार स्वयं गवाह यह स्वीकार करता है कि उक्त राशि प्रदर्श ए 1 उसके द्वारा परिवादी के खाते में जमा नहीं करवाई गई थी। सांवरमल द्वारा उक्त राशि इसी ट्रांजेक्शन के पेटे जमा करवाई हो इसकी कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। गवाह सांवरमल को साक्ष्य में परीक्षित भी नहीं करवाया गया है। इसी प्रकार नौरंगलाल एनएडब्ल्यू 1 दिनांक 04.05.2018 को दीपक इलेक्ट्रिक के खाते में पच्चीस हजार रुपये राजेन्द्र के कहे मुताबिक जमा करवाने के कथन करता है, परंतु दीपक इलेक्ट्रिक की ओर से साक्ष्य में कोई गवाह परीक्षित नहीं हुआ है। जिससे भी यह साबित नहीं होता है कि मुलजिम की ओर से दीपक इलेक्ट्रिक के खाते में राशि जमा करवाई गई थी। उक्त लेन–देनों के संबंध में कोई लिखा पढ़ी अथवा रसीदें भी अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर पेश कर उन्हें प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। गवाहान इंद्राज एनएडब्ल्यू 2 तथा रामेश्वर सैनी एनएडब्ल्यू 3 की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। गवाहों की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अभियुक्त द्वारा यह भी बचाव लिया गया है कि परिवादी ने अपने वकील के माध्यम से जो नोटिस उसे भेजा था उसका जवाब अभियुक्त द्वारा उसके वकील के माध्यम से परिवादी को भेज दिया गया था तथा

उक्त जवाब नोटिस में लेन–देन की संपूर्ण राशि परिवादी को लौटाने का वर्णन भी किया गया था, परंतु अभियुक्त द्वारा उक्त जवाब नोटिस की प्रति को पेश कर उसे साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जिससे यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई जवाब नोटिस परिवादी को भेजा गया हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं तथा उन्हें कोई भी सहायता प्रदान नहीं करते हैं। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त परिवादी के पक्ष में सृजित धारा 139 एन.आई. एक्ट की अवधारणा खंडित करने में असफल रहा है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा गवाह राजेन्द्र पी डब्ल्यू 1 से की गई जिरह में ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के सामने नहीं आया है कि जिससे परिवादी के पक्ष में सृजित धारा 139 एन.आई. एक्ट की उपधारणा का खंडन होता हो। अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार परिवादी यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को राशि दो लाख रुपये, राशि तीन लाख रुपये, पांच लाख रुपये इस प्रकार कुल दस लाख रुपये के भुगतान हेतु चैक प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 दिये गए थे। अतः विचारणीय बिंदु परिवादी के पक्ष में तय किए जाते हैं।

13. **बिन्दु संख्या 2:– क्या हस्तगत मामले में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना हुई है?**

उक्त बिन्दु के संबंध में परिवाद, परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने पर यह जाहिर आता है कि प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 3 तीन चैक, जिनमें क्रमशः प्रथम चैक नंबर 675655 रूपये 2,00,000/– दिनांकित 02.03.2021, द्वितीय चैक नंबर 424684 रूपये 3,00,000/– दिनांकित 02.03.2021, तृतीय चैक नंबर 424683 रूपये 5,00,000/– दिनांकित 28.02.2021 को परिवादी द्वारा अपने बैंक में विहित समयावधि में पेश किया गया और उक्त चैक परिवादी के बैंक द्वारा PAYMENT STOPPED BY DRAWER के पृष्ठांकन के साथ अनादरित होकर परिवादी को लौटा दिया गया। अनादरण की सूचना के पश्चात् परिवादी को 30 दिन के भीतर अभियुक्त को रजिस्टर्ड सूचना पत्र भेजना था, जिसके संबंध में परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता

के माध्यम से चैक अनादरण का सूचना पत्र दिनांक 17.03.2021 को जरिये पंजीकृत डाक अभियुक्त के वर्तमान सही ज्ञात पते पर प्रेषित किया गया। परिवादी द्वारा अभियुक्त को रजिस्टर्ड सूचना पत्र की जानकारी के बाद नोटिस के 15 दिन तथा तत्पश्चात् 30 दिन में न्यायालय में परिवाद पेश करना था, जिसके संबंध में परिवादी द्वारा दिनांक 09.07.2021 को न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में निर्देशित की गई समयावधि का पूर्णतया पालन किया जाना पूर्ण रूप से प्रमाणित है।

14. **बिन्दु संख्या 3:– क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया?**

उक्त बिन्दु के संबंध में परिवादी ने अपने परिवाद एवं साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अभियुक्त के द्वारा हस्तगत चैकों के संबंध में किसी प्रकार की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया है।

15. इस प्रकार परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष संदेह से परे यह साबित कर दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसे हस्तगत चैक विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे दिए गए थे, जो अभियुक्त के बैंक द्वारा अनादरित कर परिवादी को लौटा दिए गए हो तथा अभियुक्त द्वारा परिवादी को उक्त चैकों के पेटे कोई राशि अदा नहीं की गई है। अतः न्यायालय के मत में अभियुक्त धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

– आदेश –

16. अतः अभियुक्त **नौरंगलाल पुत्र श्री गुल्लाराम, निवासी रेल्या की ढाणी तन गुढ़ागौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(राहुल शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया</u>

17. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है। अभियुक्त बुजुर्ग व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जाकर चैक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि अभियुक्त से दिलवाया जाने का निवेदन किया।

18. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप साबित पाये गये हैं जो आर्थिक अपराध से संबंधित हैं। परिवादी से प्राप्त राशि का भुगतान न कर परिवादी के साथ विश्वातघात किया, जिस कारण परिवादी को लगभग कई वर्षों तक अन्वीक्षा भुगतनी पड़ी। इसके अतिरिक्त वर्तमान में चैक अनारदण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि एवं अभियुक्त विरूद्ध आरोपित अपराध आर्थिक क्षेत्र के अपराध की श्रेणी में होने के तथ्य को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः यदि अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो चैक अनादरण के संबंध में विधायका द्वारा निर्मित अधिनियम के उद्देश्य विफल होंगे। लिहाजा अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: – दण्डादेश –:

19. परिणामस्वरूप **नौरंगलाल पुत्र श्री गुल्लाराम, निवासी रेल्या की ढाणी तन गुढ़ागौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट में 6 माह के साधारण कारावास तथा 13,00,000/– रुपये अक्षरे तेरह लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना राशि अभियुक्त को 20 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

20. अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि जमा कराने पर उक्त राशि 13,00,000/–अक्षरे तेरह लाख रुपये बतौर प्रतिकर के रूप में परिवादी को बाद गुजरने मियाद अपील, अपील

नहीं होने की दशा में अदा की जावे।

21. अभियुक्त द्वारा परिवादी को पूर्व में अदा की गई राशि, यदि कोई हो तो जुर्माना राशि में समायोजित किया जावे।

22. अभियुक्त द्वारा इस मामले में विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में व पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि, यदि कोई हो, धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कारावास की सजा में समायोजित की जावे।

23. तद्नुसार सजा वारन्ट तैयार किया जावें।

24. अभियुक्त द्वारा पूर्व में न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थित बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

25. निर्णय की एक प्रति अविलम्ब अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें।

26. अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह इस निर्णय के विरूद्ध होने वाली अपील में उपस्थित होने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के प्रावधानों के अनुसार राशि 10,000/– रुपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे।

(राहुल शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)

27. निर्णय आज दिनांक 18.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राहुल शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)